


रीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 45/2019 अनवान पूनमाराम बनाम गोमाराम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 08.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, जाखड़ों की ढाणी पर पत्रावली पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी,
उप(एसडीओ) बाड़मेर

08.10.2021

पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 386/174 रकबा 00.11 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता खसरा नंबर 387/174 रकबा 7.03 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 388/174 रकबा 7.04 किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 187 रकबा 3.11 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 190 रकबा 43.05 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 61.17 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 386/174 रकबा 00.11 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता खसरा नंबर 387/174 रकबा 7.03 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 388/174 रकबा 7.04 किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 187 रकबा 3.11 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 190 रकबा 43.05 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 61.17 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

(रोहित चंदाण)

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढाणी

प्रार्थीगण
1 पूनमाराम 2 जैसाराम 3 ईशराराम 4
मानाराम पिसरान मेहाराम जाति जाट
निवासी फूसाणियों का तला (जाखड़ों
की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 गोमाराम पुत्र बुदराराम 2 जोधाराम
पुत्र रामाराम 3 श्रीमती इमिया पत्नी
बांकाराम 4 सोनाराम पुत्र झूडी 5
मलाराम पुत्र मघाराम 6 पतूराम पुत्र
मूलाराम 7 शिवजीराम पुत्र रावताराम 8
भूसाराम पुत्र किसनाराम 9 पूनमाराम पुत्र
लालाराम 10 डालूराम पुत्र मघाराम
जातियान जाट निवासी फूसाणियों का
तला (जाखड़ों की ढाणी) 11 पूनमगिरी
पुत्र लूमगिरी 12 मंवरगिरी पुत्र लूमगिरी
जाति स्वामी निवासी जाखड़ों की ढाणी
13 हीराराम पुत्र पूनमाराम 14 सोनाराम
पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी जाखड़ों
की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-45/2019 दिनांक-08.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं
जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 386/174 रकबा 00.11 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता खसरा नंबर
387/174 रकबा 7.03 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 388/174 रकबा 7.04 किस्म
बारानी सोयम, खसरा नंबर 187 रकबा 3.11 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 190 रकबा
43.05 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 61.17 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक
निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगड़ी नहीं करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरें एक हजार पांच सौ रुपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक- 08/10/2021

क्रमांक/ शीडर/2021/ 5069-5072

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं पालना प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य
अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय
रेकॉर्ड उपरिथत रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पूनमाराम पुत्र मेहाराम वगैराह जाति जाट निवासी फूसाणियों का तला (जाखड़ों की
ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गोमाराम पुत्र बुदराराम वगैराह जातियान जाट निवासीयान फूसाणियों का तला
(जाखड़ों की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर